उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण अनुभाग-2
संख्या-32/2016/NGT -121/55-पर्या-2016-09(रिट)/2016
लखनऊ : दिनांक : 15 नवम्बर, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-21/2014 वर्धमान कौशिक बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य एवं सम्बद्ध वादों में सुनवाई करते हुए मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिनांक 10-11-2016 को विस्तृत आदेश पारित किये गये हैं। मा0 अधिकरण द्वारा अपने आदेश में वायु प्रदूषण के मुख्य कारकों को इंगित करते हुए मानक के अनुसार वायु प्रदूषण के रोकथाम एवं नियंत्रण के सम्बन्ध में पारित निर्णयों/नियमों का समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित किये जाने हेतु केन्द्रीय एवं राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति गठित की गयी है।

2- अत: मा0 अधिकरण के आदेशानुसार वायु प्रदूषण के रोक-थाम एवं नियंत्रण हेतु पारित निर्देशों/निर्णयों/आदेशों का समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित किये जाने हेतु राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन निम्नवत किया जाता है :-

1- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन-	अध्यक्ष
2- प्रमुख सचिव, पर्यावरण, उ0प्र0 शासन-	सदस्य
3- प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन-	सदस्य
4- प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उ0प्र0 शासन	सदस्य
5- प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, उ0प्र0 शासन-	सदस्य
6- प्रमुख सचिव, पी0डब्ल्यू0डी0, उ0प्र0 शासन-	सदस्य
7- प्रमुख सचिव, कृषि, उ0प्र0 शासन-	सदस्य
8- प्रमुख सचिव, परिवहन, उ0प्र0 शासन-	सदस्य
09-प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन-	सदस्य
10- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0-	सदस्य
11-सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उ0प्र0-	सदस्य-सचिव

3- समिति का अध्यक्ष आवश्यकतानुसार किसी अन्य विभाग/मंत्रालय/शोध संस्थान के किसी अधिकारी/विशेषज्ञ/कार्मिक, जो समिति के उददेश्यों से सम्बन्धित विषय पर कार्य से जुड़े हों, को आवश्यक योगदान हेतु आमंत्रित/सम्मन कर सकता है।

4- उक्त समिति के कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्धारण मा0 अधिकरण द्वारा अपने आदेश दिनांक 10-11-2016 में किया गया, जो निम्नवत है :-

1. This Commitee shall be responsible for enforcement of the directions/orders/judgments and the law in relation to prevention and control of air pollution more particularly judgment afore-referred.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2. It will be the duty of this Committee to verify that the directions are actually implemented at the ground level and would not leave the things on mere paper.
3. This Committee shall prepare action plan in consonance with the advance circular the same and ensure their implementation.
4. The Committee shall also pubicise requisite matter through media or otherwise, particularly in relation to burning of agriculture residue. It will inform the farmers of the benefits and the incentives that are available to them in consonance with the orders afore-referred for not burning of agriculture residue. It should be informed to them that it is not a mere liablity but could become useable asset and bring financial to them.
5. State and the State Committee shall constitute a special task force to ensure that there is no burning of waste of any kind, roads are mechanically cleaned and there is no undue traffic congestion in the city particularly during the period of environmental emergency.
6. The state level committee shall hold its meeting every month.
7. The State level committee shall submit the report to the centralised committee at least three days in advance to the date of the meeting of that committee.

5- उक्त समिति मा0 अधिकरण के प्रश्नगत आदेश में निर्गत सामान्य निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित करेगी।

राहुल भटनागर
मुख्य सचिव।

संख्या-32/2016/NGT-121/55-पर्या-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समिति के सदस्यगण।
2- निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
3- सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4- उप निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ।
5- श्री अभिषेक यादव, स्थायी अधिवक्ता, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली।
6- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/ विशेष सचिव, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

(आत्मा राम)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in